राज्य शिक्षा केन्द्र
डी.एल.एड. प्रवेश वर्ष 2020–21
अल्पसंख्यक महाविद्यालयों हेतु निर्देश

म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44–10/2019/20–2 भोपाल दिनांक 03.06.2019 की कण्डिका 6.2 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीट्स पर ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किये जायेंगे। शेष 50 प्रतिशत सीट्स पर महाविद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए अन्य समुदाय को भी प्रवेश दे सकेंगे।

<u>अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालयों की प्रवेश की प्रक्रिया</u>

1. प्रथम राउण्ड की कांउसिलिंग में सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किये जावेगें।
2. द्वितीय राउण्ड में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों के अतिरिक्त शेष सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश दिये जावेंगे। इस राउण्ड में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रवेश प्रदान किये जा सकते है एवं एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर एन्ट्री की जा सकेगी। इस राउण्ड में नियमानुसार अधिकतम् 50 प्रतिशत सीट्स पर महाविद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए अन्य समुदाय को भी प्रवेश दे सकेंगे।
3. उपरोक्तानुसार दो राउण्ड की काउंसलिंग के पश्चात् यदि सीट रिक्त रहती है तो तीसरे राउण्ड में शेष बची रिक्त सीट्स पर ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किये जावेंगे।
4. अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालय, शिक्षक शिक्षा कक्ष, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा हिल्स भोपाल को निम्नांकित दस्तावेज की फोटोकॉपी दिनांक 22.08.2020 तक स्पीड पोस्ट से अनिवार्यतःउपलब्ध करावें ।
   1. समिति का वैध पंजीयन
   2. सदस्यों की सूची
   3. समिति के बॉयलाज
   4. अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने संबंधी वर्तमान सत्र का प्रमाणपत्र

   उक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर Scrutiny उपरान्त अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों की सूची द्वितीय राउण्ड के पूर्व पोर्टल पर जारी की जायेगी। इस सूची में सम्मिलित संस्थान ही प्रवेश नियम की कण्डिका 6.2 के तहत मान्य किये जायेंगे।